संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष – 0755–2550928, 2550910 फैक्स – 0755–2550912

ई–मेल:commwcd@mp.nic.in बेबसाइड : www.mpwcdmis.gov.in

क्रं./मबावि/आई.सी.डी.एस./2020–21/4525 भोपाल, दिनांक 11/05/2020

प्रति, **अतिआवश्यक**

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः–नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण काल में **WhatsApp** ग्रुप के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाओं में दर्ज हितग्राहियों के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल के सम्बंध में।

सन्दर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक पोषण आहार/क्यू दिनांक 18.04.2020।

नोवल कोरोना वायरस **(COVID – 19)** संक्रमण के भारत सरकार के दिशानिर्देशो के अनुसार यह अति आवश्यक है कि कम से कम अवसरों पर एक दूसरे के सम्पर्क में आया जाये एवं आवश्यकता होने पर 5 से 6 फीट (वयस्क आदमी की लम्बाई बराबर) की दूरी रखी जाये। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अति आवश्यक सेवाओं जैसे–पोषण आहार वितरण एवं कोविड–19 की रोकथाम से सम्बंधित अन्य आपातकालीन कार्य किये जा रहे है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को नियमित रूप से दी जाने वाली परामर्श सेवाओं यथा पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श की निरंतरता बनाये रखने हेतु विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। अतः आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथाहितग्राहियों के मध्य ऐसे माध्यमों का उपयोग किया जाए ताकि उनके मध्य न्यूनतम प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्क हो। संचालनालय का पत्र क्रमांक पोषण आहार/क्यू दिनांक 18.04.2020 के माध्यम से सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा **कमजोर अथवा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की निगरानी हेतु (WhatsApp) ग्रुप** बनाये जाने के निर्देश दिए गए थे।

वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए **सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा कमजोर अथवा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की विशेष रूप से देखभाल व निगरानी हेतु एवं ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उसके केन्द्र में दर्ज सभी हितग्राहियों (गर्भवती व धात्री माताएं, 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की माताएं विशेषकर 2 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चें एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं) के परिवारों को शामिल कर वाट्सएप (WhatsApp) ग्रुप बनाया** जावे। जिसके माध्यम से पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबन्धित परामर्श एवं सेवाओं के उपयोग हेतु परिवार को वांछित समझाईश दी जा सके।

उपरोक्त वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप के उद्देश्य निम्न हैः–

- कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु किये गये उपायों के दौरान हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श उपलब्ध कराना ।
- कमजोर एवं कुपोषित बच्चों के देखभाल एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु परिवार को सहयोग प्रदान करना।
- हितग्राहियों से सतत सम्पर्क कर पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना।

- समुदाय के मध्य स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता विषयो का प्रचार प्रसार करना
- चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों को रेफर करना एवं आपात स्थिति से निपटने में परिवार को आवश्यक सहयोग करना।

वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप का बनाये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेः–

- सेक्टर स्तर परः– पर्यवेक्षक द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 2020 में बच्चों के लिये गये पोषण स्तर के आधार पर **सभी चिन्हित कम वजन एवं अति कम वजन (जिनमें लगभग सभी गंभीर कुपोषित बच्चे शामिल होते है)** वाले बच्चों के परिवार को जोड़ कर वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप बनाया जावेगा। ग्रुप में सम्बधित पोषण पुर्नवास केन्द्र की एफ0डी0 को शामिल किया जाये ताकि लक्षणो के आधार पर अतिगंभीर कुपोषित बच्चो की चिकित्सकीय निगरानी में सहायता मिल सके।
- आंगनवाड़ी स्तर पर :– कार्यकर्ता द्वारा अपने पर्यवेक्षक के सहयोग से केन्द्र में दर्ज सभी हितग्राहियो को शामिल कर एक **वाट्सएप (WhatsApp)** ग्रुप बनाया जावे। आंगनवाड़ी स्तर पर बने सभी समूहों में पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से शामिल किया जावे जिससें आवश्यकता होने पर पर्यवेक्षक द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद की जा सके।

वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप द्वारा कोविड 19 के संक्रमण काल एवं उसके उपरांत भी सामान्य परिस्थितियों में हितग्राहियों के मध्य विभागीय योजनाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु जानकारियों का प्रचार प्रसार संबंधी कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा निर्देश ''**परिशिष्ट 01**'' संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रं./म.बा.वि./ आई.सी.डी.एस./2020–21/4526 भोपाल, दिनांक 11/05/2020

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

- बच्चों को प्रदाय पूरक पोषण आहार के सेवन की जानकारी हेतु परिवारों से सप्ताह में कम से कम एक बार फोन अथवा **वाट्सएप (WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से बच्चों द्वारा सेवन किये जाने की जानकारी प्राप्त कर परिवार को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना।
- सभी अति कम वजन को दिये जाने वाले पूरक पोषण आहार (THR/RTE जो उपलब्ध हो) की निर्धारित अतिरिक्त मात्रा प्रतिदिन सेवन बच्चें द्वारा किया जावे इस हेतु परिवार को परामर्श दिया जावे।
- बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखने पर अथवा उसके खाने की आदत में बदलाव (पहले से खाना कम मात्रा में अथवा कम बार खा रहा हो) होने वाली स्थितियों की परिवार से सतत जानकारी लेवे एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श देना।

- <u>3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के के बच्चों हेतुः–</u>
  - कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना
  - बच्चों को प्रदाय पूरक पोषण आहार के सेवन की जानकारी हेतु परिवारों से सप्ताह में कम से कम एक बार फोन अथवा **वाट्सएप (WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से बच्चों द्वारा सेवन किये जाने की जानकारी प्राप्त कर परिवार को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना।
  - सभी अति कम वजन को दिये जाने वाले पूरक पोषण आहार (THR/RTE जो उपलब्ध हो) की निर्धारित अतिरिक्त मात्रा प्रतिदिन सेवन बच्चें द्वारा किया जावे इस हेतु परिवार को परामर्श दिया जावे।
  - आशा के द्वारा 3 से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) को दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड सायरप की खुराक के संबंध में अभिभावको का प्रेरित करने साथ आयरन फालिक एसिड के महत्व को अभिभावको को सूचित करना।
  - बच्चे को लगने वाले सभी टीको/ विटामिन 'ए' की खुराक/कृमिनाशक गोली का सेवन आदि के यथास्थिति की जानकारी परिवार से लेना एवं ग्राम में टीकाकरण दिवस की जानकारी परिवार को **वाट्सएप (WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से देना।
  - बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखने पर अथवा उसके खाने की आदत में बदलाव (पहले से खाना कम मात्रा में अथवा कम बार खा रहा हो) होने वाली स्थितियों की परिवार से सतत जानकारी लेवे एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श देना।
  - अति गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM) को जो पोषण पुर्नवास केन्द्र से वापस आये हो अथवा पुर्व से ही समुदाय आधारित कार्यक्रम में पंजीकृत है, उन्हे प्रदाय किये जाने वाले अतिरिक्त पोषण आहार (THR/RTE जो उपलब्ध हो) की निर्धारित अतिरिक्त मात्रा के सेवन की नियमित जानकारी परिवार से प्राप्त कर प्रतिदिन उनके द्वारा कुल सेवन किये जा सकने वाले आहार के बारे में परामर्श देना।

- <u>11 से 14 वर्ष तक आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं हेतुः–</u>
  - कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना
  - प्रति सप्ताह आयरन की निली गोली के सेवन एवं पूरक पोषण आहार (THR/RTE जो उपलब्ध हो) दो के बारे में जानकारी देना एवं उनके द्वारा सेवाओं के उपयोग हेतु परामर्श देना।

- किशोरियों को आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी परामर्श दिया जावे एवं इस संबंध में उपलब्ध सन्दर्भ सामग्री भी उन्हे प्रदान किया जावे।

----------*****----------

वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप द्वारा कोविड 19 के संक्रमण काल एवं उसके उपरांत भी सामान्य परिस्थितियों में सेक्टर एवं आंगनवाड़ी स्तर पर बनाये जा रहे ग्रुप के माध्यम से हितग्रहियों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबन्धित परामर्श एवं सेवाओं के उपयोग हेतु परिवार को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1. पर्यवेक्षक के स्तर से

- पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाये गये हितग्राहियो के वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप में शामिल रहेंगी। साथ ही इस ग्रुप में सम्बधित पोषण पुर्नवास केन्द्र की फीडिंग डेमोसट्रेर (FD) को शामिल किया जाये ताकि लक्षणो के आधार पर अतिगंभीर कुपोषित बच्चो की चिकित्सकीय निगरानी में सहायता मिल सके ।
- राज्य द्वारा प्रतिदिन अथवा समय समय पर प्रसारित किये जाने वाले संदेशो को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अथवा स्वयं उन्हे सभी वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी।
- वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप में हितग्राहियों के प्रश्नों का सही उत्तर जिला एवं परियोजना स्तर से चर्चा उपरान्त हितग्राहियों को बताना सुनिश्चित किया जावे।
- इन वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप में शामिल परिवारों को सूचित करे कि ग्रुप में अन्य किसी भी प्रकार के भ्रमित करने वाले संदेशों से दूरी बनाये एवं अन्य किसी प्रकार के संदेशो का प्रसार न हो।
- पर्यवेक्षक द्वारा कुपोषित बच्चों के ग्रुप में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की चर्चा निरन्तर करते रहे विशेष कर उन परिवार के साथ जहां के बच्चे पोषण पुर्नवास केन्द्र से भर्ती उपरान्त वापस आये हो।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के स्तर से

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों, कुपोषित बच्चों एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु निम्नानुसार प्रयास कर सकती हैः–

- गर्भवती महिलाओं हेतुः–
  - कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना
  - समय से उनका पंजीयन एवं शासन के पात्रता अनुसार योजनाओं में जोड़ने हेतु परिवार को जागरूक बनाने में मदद करना
  - गर्भवती माताओं द्वारा प्रतिदिन समय से आयरन एवं कैल्शियम के सेवन की निगरानी करना, एवं महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना
  - गर्भावस्था के दौरान पहले से अधिक पोषक एवं संतुलित आहार का सेवन एवं दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम जैसे संदेशों का ग्रुप के में प्रचार – प्रसार करना
  - गर्भावस्था के दौरान पहले से अतिरिक्त पोषक एवं सतुलित आहार का सेवन एवं दिन में कम से कम घंटे का आराम जैसे संदेशों का ग्रुप के माध्यम से प्रचार करना

- स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं गर्भावस्था दौरान वजन वृद्धि आदि की जानकारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ग्राम में आने दिवसों की परिवार को जानकारी देना
- संस्थागत प्रसव हेतु माह मे संभावित प्रसव वाली गर्भवती महिला एवं उसके परिवार को को नजदीकी प्रसव केन्द्र की जानकारी उपलब्ध कराना साथ ही आशा के साथ समन्वय स्थापित कर चिकित्सकीय जटिलता वाले वाली महिलाओ का चिन्हाकन करना एवं शासन के दिशानिर्देशो के अनुसार वाहन एवं अन्य सुविधाये उपलब्ध कराने मे सहयोग प्रदान करना ।

- <u>धात्री माताओं एवं 6 माह से कम आयु के शिशु हेतुः–</u>
  - कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना
  - धात्री माता को केवल स्तनपान एवं प्रथम 6 माह में शिशु को ऊपर से पानी भी नही देने के महत्व को समझाना
  - ऐसी माताओ का चिन्हांकन करना जिन्हे स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही है उन्हे व्यक्तिगत रूप से फोन अथवा गृह भेंट कर सहयोग प्रदान करना।
  - शिशु के प्रथम 6 माह के दौरान लगने वाले सभी टीको के बारे में एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ग्राम में टीकाकरण हेतु आने पर ग्रुप के माध्यम से परिवार को सूचित करना।
  - आशा कार्यकर्ता के माध्यम से 6 माह तक के शिशुओं के वजन वृद्धि की निगरानी करना।
  - धात्री माता द्वारा प्रतिदिन 6 माह तक आयरन एवं कैल्शियम के सेवन की निगरानी करना एवं सेवन करने में होने वाली कठिनाई पर आवश्यक परामर्श देना।

- <u>6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतुः–</u>
  - कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना
  - 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों हेतु वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से ऊपरी आहार समय से प्रारम्भ करने के महत्व के बारे में बताना। विशेषकर 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाने वाले उपरी आहार की मात्रा, बारम्बारता एवं खाद्य विविधता हेतु परामर्श दिया जावे ।
  - ऐसे परिवार जहां माह के दौरान अन्नप्राशन कराया गया है उन परिवारों से सप्ताह में एक से दो बार फोन पर अथवा ग्रुप के माध्यम से बच्चे द्वारा खाये गये आहार की मात्रा, बारम्बरता आदि की जानकारी लेना एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श प्रदान करना।
  - बच्चों के ऊपरी आहार संबंधी परिवार के शंकाओं का समाधान करना।
  - बच्चे को आहार में क्या क्या और कितनी बार खिलाया जाना हैं तथा बच्चे को आहार खिलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में नियमित जानकारी प्रदाय करना।
  - आशा के द्वारा बच्चों को सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं शुक्रवावर) को दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड सायरप की खूराक के संबंध में अभिभावको का प्रेरित करने साथ आयरन फालिक एसिड के महत्व को अभिभावको को सूचित करना।
  - बच्चे को लगने वाले सभी टीको/ विटामिन 'ए' की खूराक/कृमिनाशक गोली का सेवन आदि के यथास्थिति की जानकारी परिवार से लेना एवं ग्राम में टीकाकरण दिवस की जानकारी परिवार को वाट्सएप **(WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से देना।